न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :– शकुंतला चौधरी आर.ए.एस.

मि0न0 – 20/2019(2019/00330)

अनवान : –

1. देवीलाल पुत्र शिशपाल जाति जाट निवासी झॉसल तहसील भादरा।

प्रार्थी

बनाम

1. ताराचन्द पूत्र सोहनलाल जाति जाट निवासी झॉसल तहसील भादरा।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।
3. जयवीर पुत्र शिशपाल जाति जाट निवासी झॉसल तहसील भादरा।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र बाबत रास्ता
अन्तर्गत धारा 8(2) राज0 को0 कन्डीशन सपठित
धारा 251ए राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :– श्री मुन्शीराम गोस्वामी प्रार्थी
श्री सुरेन्द्रकुमार मील अप्रार्थी

निर्णय दिनांक: 28·10·2021

संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मोजा चक 1 जे एस एल के खाता सं0 31/26 के मु0 नं0 20 किला नं0 15, मु0 नं0 21 किला नं0 11 ता 14, 17 ता 20 कुल 2.277 हैक्टेयर बारानी खातेदारी प्रार्थी एंव प्रार्थी के भाई जयवीर के नाम से संयुक्त खातेदारी दर्ज है। प्रार्थी की खातेदारी के पास चिपते ही चक 1 जे एस एल के खता सं0 38/33 के मु0 नं0 12 के किला नं0 5 व 6 मु0 नं0 22 के किला नं0 1 ता 5, 8 ता10, मु0 नं0 26 किला नं0 7, 8, मु0 नं0 65 किला नं0 13/1, 14, 16 ता 19, 23 जा 25 की 7.628 हैक्टेयर मय रास्ता की खातेदारी कृषि भूमि स्थित है। प्रार्थी की खातेदारी के पास ही चक 1 जे एस एल के मु0 नं0 21 के किला नं0 5,6,15,16,25 मे से पत्थर लाईन से स्वीकृतशुदा रास्ता है। प्रार्थी मु0 नं0 21 के किला नं0 7 व 8 मे दक्षिणी तरफ स्वीकृतशुदा रास्ता है प्रार्थी मु0 नं0 21 के किला नं0 6 के दक्षिणी तरफ से होते हुये अपनी खातेदारी मु0 नं0 21 के किला नं0 14 मे प्रवेश करता है इसके अलावा प्रार्थी की खातेदारी मे आवागमन के लिये अन्य कोई स्वीकृतशुदा या चालू रास्ता नही है परन्तु मु0 नं0 21 के किला नं0 6 मे चल रहे उक्त रास्ता राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी मे दर्ज नही है इसलिये मु0 नं0 21 के किला नं0 6 मे एक बिस्वा भूमि रास्ता के रूप मे दर्ज करवाई जावे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। नोटिस तामिल होने के उपरान्त अप्रार्थीगण 1 व 3 ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया एंव प्रार्थी के आवेदन पत्र को अपने जवाब मे स्वीकार किया एंव प्रार्थी के अनुतोष का कोई खण्डन नही किया है। प्रार्थी के आवेदन पत्र का अप्रार्थीगण के द्वारा जवाब पेश होने के उपरान्त साक्ष्य प्रार्थी मे ए डब्लु – 1 देवीलाल के बयान करवाये गये एंव साक्ष्य मे दस्तावेजी साक्ष्य मे चालू जमाबन्दी प्रार्थी एंव अप्रार्थी सं0 3 की मुश्तर्का

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

खातेदारी एंव नक्शा नजरी साक्ष्य मे प्रदर्शित करवाये। साक्ष्य प्रार्थी समाप्त होने के उपरान्त बहस उभय पक्ष सुनी गई।

दौराने बहस वकील प्रार्थी ने कथन किया कि प्रार्थी की उक्त खातेदारी में आवागमन के लिये चक 1 जे एस एल के मु0 नं0 21 के किला नं0 5,6,15,16,25 मे से पत्थर लाईन से स्वीकृतशुदा रास्ता है तथा इसी मुरबा के किला नं0 7 व 8 मे दक्षिणी तरफ भी स्वीकृतशुदा रास्ता है उसी रास्ता से होकर प्रार्थी अप्रार्थी सं01 की चक 1 जे एस एल के मु0 नं0 21 के किला नं0 6 के दक्षिणी तरफ से होते हुये अपनी खातेदारी चक 1 जे एस एल के मु0 नं0 21 के किला नं0 14 मे प्रवेश करता है तथा सदामत से उक्त रास्ता चला आ रहा है जो राजस्व रिकार्ड मे दर्ज नही है, उसे दर्ज करवाया जावे। अप्रार्थी सं0 1 की खातेदारी मे से उक्त रास्ता स्वीकृत होना है तथा अप्रार्थी सं0 1 की तरफ से प्रार्थी के आवेदन पत्र का कोई खण्डन नही किया है तथा आवेदन पत्र को स्वीकार किया है।

विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया जाकर एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है कि अप्रार्थी संख्या 1 ताराचन्द की खातेदारी चक 1 जे एस एल के मु0 नं0 21 के किला नं0 6 मे दक्षिणी तरफ पूर्व से पश्चिम के लिये एक बिस्वा अर्थात 0.013 हैक्टैयर अर्थात उक्त किला नं0 6 में 8–1/4 फीट चौड़ा रास्ता दर्ज किया जाकर उक्त रास्ता का अंकन राजस्व रिकॉर्ड, हॉल जमाबन्दी एवं नक्शा में किया जावे। इसी अनुसार तहसीलदार भादरा के नाम आदेश जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 28.10.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शकुंतला चौधरी)
उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़